कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

//विविध–आदेश//

(कार्य–विभाजन में संशोधन)

क्रमांक.......84......../ रीवा, दिनांक 25/मई/2024
दो–1–1/2000

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश क्रमांक 558/गोपनीय/2024/दो–3–1/2024 जबलपुर दिनांक 13.05.2024 के द्वारा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश का स्थानांतरण होने तथा उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना न किये जाने के फस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की0 धारा–15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–10 की उपधारा–2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 336/दो–1–1/2000 दिनांक 30.04.2024 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :–

01. सरल क्रमांक 33 के स्तम्भ क्रमांक 02 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा में रिक्त न्यायालय लेख करते हुये एवं स्तम्भ क्रमांक 03 एवं 04 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

02. सरल क्रमांक 43 के स्तम्भ क्रमांक 02 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश में रिक्त न्यायालय लेख करते हुये एवं स्तम्भ क्रमांक 03 एवं 04 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

03. सरल क्रमांक 37 के स्तम्भ क्रमांक 02 पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा में स्तम्भ क्र0–4 के कंडिका क्र0–3 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 04 निर्मित करते हुये निरंतर जोड़ा जाता है:–

4. **"माह मई एवं जून में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।"**

04. सरल क्रमांक 38 के स्तम्भ क्रमांक 02 षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा में स्तम्भ क्र0–4 के कंडिका क्र0–2 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 03 निर्मित करते हुये निरंतर जोड़ा जाता है:–

3. **"माह दिसम्बर एवं जनवरी में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।"**

05. सरल क्रमांक 65 के पश्चात् अंकित नोट के कंडिका क्रमांक 05 को संशोधित किया जाकर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :–

5. अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु क्रमशः ग्यारहवें जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा, अष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा को अधिकृत किया जाता है।

4068

2. परिशिष्ट–अ की कंडिका 31 लगायत 40 को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

क्र0	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें
31	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
32	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
33	षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
34	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अति0 न्यायाधीश रीवा
35	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अति0 न्यायाधीश रीवा 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश रीवा
36	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अति0 न्यायाधीश रीवा	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश रीवा 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
37	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश रीवा	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
38	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश रीवा	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा

शेष आदेश यथावत रहेगा।

sd/-

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक 2729 /
दो–1–1 / 2000

रीवा, दिनांक 25 / 05 / 2024

प्रतिलिपिः–

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. फाईलिंग काउंटर के समस्त कर्मचारी रीवा।
4. जू0सि0ए0 / डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)